eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

मौलिक कर्तव्य और नागरिक जिम्मेदारी : भारतीय विधि में वर्तमान स्थिति (1947–2019)

सतीश तिवारी[1]

[1]प्राचार्य, कौशलेन्द्र राव ला कालेज, बिलासपुर, छत्तीसगढ

Received: 08 May 2019, Accepted: 11 May 2019 ; Published on line: 15 May 2019

Abstract

यह शोधपत्र मौलिक कर्तव्य और नागरिक जिम्मेदारी, भारतीय विधि में वर्तमान स्थिति (1947–2019) विषय पर केंद्रित है। भारतीय संविधान के प्रारंभिक संस्करण में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। हालांकि, 1976 में आपातकाल की पृष्ठभूमि में 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51 क के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बाद में, 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई। यह शोधपत्र 1947 से 2019 तक मौलिक कर्तव्यों के ऐतिहासिक विकास, उनकी कानूनी स्थिति और न्यायालयों द्वारा की गई व्याख्या का विश्लेषण करता है। साथ ही, इसमें मौलिक कर्तव्यों और नागरिक जिम्मेदारियों के बीच के संबंधों को रेखांकित किया गया है। शोध में पाया गया कि मौलिक कर्तव्य नागरिकों में उत्तरदायित्व और अनुशासन की भावना उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनके गैर–न्यायसंगत स्वरूप के कारण उनका प्रभाव सीमित रहता है। इसके बावजूद, इन कर्तव्यों का शिक्षा, समाज और कानून के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

मुख्य शब्द– मौलिक कर्तव्य, नागरिक जिम्मेदारी, भारतीय संविधान, अनुच्छेद 51 क, 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, न्यायिक व्याख्या, मूल संरचना सिद्धांत।

Introduction

भारतीय संविधान को जब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तब यह एक ऐसा दस्तावेज था, जो नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता, और बंधुत्व की गारंटी देता था। संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हुए उन्हें अनेक सुविधाएँ दीं, परंतु कर्तव्यों पर स्पष्ट रूप से जोर नहीं दिया। संविधान सभा में मौलिक कर्तव्यों पर विचार अवश्य हुआ, परंतु उन्हें संविधान के प्रारंभिक संस्करण में शामिल नहीं किया गया। इसका कारण यह था कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय समाज अधिकारों की आवश्यकता पर अधिक केंद्रित था। हालांकि, जैसे–जैसे भारतीय लोकतंत्र परिपक्व हुआ, यह महसूस किया गया कि अधिकारों के साथ–साथ नागरिकों को कर्तव्यों का पालन भी आवश्यक है। विशेष रूप से 1975–77 के आपातकाल और उसके बाद की परिस्थितियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि नागरिक केवल अपने अधिकारों पर जोर देते रहेंगे और कर्तव्यों की उपेक्षा करेंगे, तो लोकतंत्र की स्थिरता और सामाजिक सद्भाव खतरे में पड़ सकता है। इस पृष्ठभूमि में 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जिसने मौलिक कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से नागरिकों पर लागू किया। मूल रूप से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य न्यायसंगत (justiciable) नहीं हैं, अर्थात् उनके उल्लंघन पर नागरिकों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। फिर भी, इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों में उत्तरदायित्व और अनुशासन की भावना

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

विकसित करना है। यह नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि वे केवल अपने अधिकारों का उपभोग करने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्हें अपने राष्ट्र और समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ भी निभानी हैं।

नागरिक जिम्मेदारी और मौलिक कर्तव्य एक–दूसरे के पूरक हैं। लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और सामाजिक उत्तरदायित्व पर निर्भर करती है। भारत में, जहाँ विविधताएँ और असमानताएँ व्यापक हैं, वहाँ नागरिक जिम्मेदारी और कर्तव्यों का पालन सामाजिक एकता और राष्ट्रीय विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह कर्तव्य केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्व का प्रतीक हैं। 1947 से 2019 तक के कालखंड में भारत ने न केवल लोकतंत्र को सुदृढ़ किया, बल्कि सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, और सार्वजनिक जीवन में अनुशासन जैसी अवधारणाओं को भी मजबूती से स्थापित किया। इस यात्रा में मौलिक कर्तव्यों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। न्यायपालिका ने भी अपने अनेक निर्णयों में इन कर्तव्यों को नैतिक रूप से लागू करने का प्रयास किया, यद्यपि विधायी रूप से ये कर्तव्य अभी तक बाध्यकारी नहीं बनाए गए हैं। इस शोधपत्र में हम मौलिक कर्तव्यों और नागरिक जिम्मेदारी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उनके संवैधानिक विकास, वर्तमान कानूनी स्थिति, न्यायालयों द्वारा व्याख्या, तथा उनके सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करेंगे। साथ ही, हम अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति का भी मूल्यांकन करेंगे और मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु संभावित सुधारों पर चर्चा करेंगे।

परिकल्पना–

1– भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश नागरिकों में उत्तरदायित्व और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए किया गया है, लेकिन 1947–2019 तक इन कर्तव्यों की कानूनी स्थिति सीमित और अस्पष्ट रही है।

2– नागरिक जिम्मेदारी का विधिक और सामाजिक क्रियान्वयन मुख्यतः नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण पर आधारित रहा है, न कि विधिक बाध्यता पर।

3– मौलिक कर्तव्यों और नागरिक जिम्मेदारियों के व्यापक अनुपालन के लिए आवश्यक है कि इन्हें कानूनी रूप से अधिक सशक्त बनाया जाए, और उनके पालन के लिए विधायी, न्यायिक तथा शैक्षिक स्तर पर ठोस उपाय किए जाएं।

4– न्यायपालिका और विधायिका की भूमिका नागरिक जिम्मेदारी और कर्तव्यों की व्याख्या और प्रवर्तन में निर्णायक रही है, परंतु 2019 तक इसके प्रभाव को मजबूत और प्रभावशाली बनाने की आवश्यकता बनी रही है।

शोध प्राविधि–

1- शोध का स्वरूप (Nature of the Study)– यह शोध एक वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन है, जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों और नागरिक जिम्मेदारी की कानूनी स्थिति (1947–2019) की ऐतिहासिक, कानूनी और सामाजिक संदर्भ में समीक्षा करता है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

2– डेटा संग्रहण

प्राथमिक स्रोत (Primary Sources)– भारतीय संविधान और इसके संशोधन (विशेषकर 42वाँ संविधान संशोधन), प्रमुख अदालती निर्णय, विधायी अधिनियम (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, राष्ट्रीय ध्वज और सम्मान अधिनियम, 1971, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009)

द्वितीयक स्रोत– पुस्तकें और शोधपत्र, विधि समीक्षाएँ और पत्रिकाएँ, समाचार–पत्रों और रिपोर्टों में प्रकाशित सामग्री, इंटरनेट स्रोत, सरकारी वेबसाइटें, और प्रासंगिक रिपोर्टें ।

3– शोध विधियाँ

ऐतिहासिक विधि– 1947 से 2019 तक मौलिक कर्तव्यों और नागरिक जिम्मेदारी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन।

समीक्षात्मक विधि – भारत के मौलिक कर्तव्यों और नागरिक जिम्मेदारी की तुलना अन्य देशों की प्रणालियों से, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन।

विश्लेषणात्मक विधि– भारतीय विधि और न्यायालयों के निर्णयों का विश्लेषण कर नागरिक जिम्मेदारी की वर्तमान स्थिति को रेखांकित करना।

वर्णनात्मक विधि– नागरिक जिम्मेदारी और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रमुख धाराओं, प्रावधानों, और सामाजिक प्रभावों का वर्णन।

4– शोध की सीमा –

कालखंड 1947 (स्वतंत्रता प्राप्ति) से 2019 तक।

भौगोलिक क्षेत्र– भारत।

विषयवस्तु– भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की विधिक स्थिति, नागरिक जिम्मेदारी की अवधारणा, न्यायपालिका और विधायिका की भूमिका।

5– शोध उपकरण– कानूनी दस्तावेज़ों, विधानों और न्यायिक निर्णयों का अध्ययन, विद्वानों द्वारा लिखित ग्रंथों और शोधपत्रों की समीक्षा, नवीनतम रिपोर्टों, सरकारी दस्तावेज़ों और इंटरनेट स्रोतों का संकलन।

मौलिक कर्तव्यों की उत्पत्ति और विकास (1947–2019)

प्रारंभिक स्थिति (1947–1976)– भारतीय संविधान का प्रारंभिक संस्करण, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ने नागरिकों के अधिकारों पर विशेष जोर दिया। मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण संविधान के भाग III में दिया गया, जो स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी देता है। परंतु, संविधान निर्माताओं ने कर्तव्यों को संविधान का अनिवार्य अंग नहीं बनाया। संविधान सभा की बहसों के दौरान मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख हुआ, परंतु उसे संविधान में शामिल करने की आवश्यकता तत्कालीन सदस्यों ने नहीं महसूस की। स्वतंत्रता संग्राम के बाद का दौर नागरिकों को अधिकारों से सशक्त करने पर केंद्रित था, जिससे नागरिक कर्तव्यों पर अपेक्षित बल नहीं दिया गया। हालांकि, स्वतंत्र भारत में

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

जैसे–जैसे लोकतंत्र परिपक्व हुआ और नागरिक अधिकारों का प्रयोग बढ़ा, यह महसूस होने लगा कि अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पालन अनिवार्य है। सामाजिक अनुशासन, सार्वजनिक जीवन में शुचिता, और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से नागरिक कर्तव्यों का महत्व बढ़ने लगा।

स्वर्ण सिंह समिति (1976)– 1975–77 का आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस दौर में नागरिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगा और राज्य ने अनुशासन और कर्तव्यों के महत्व पर बल दिया। इसी पृष्ठभूमि में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की सिफारिश करना था। स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाव दिया कि–

संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से जोड़ा जाए।

कर्तव्यों में राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने, और पर्यावरण संरक्षण जैसे दायित्व शामिल किए जाएँ।

इन कर्तव्यों को शिक्षण संस्थानों और पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए।

इन सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम (1976) के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा।

42वां संविधान संशोधन अधिनियम (1976)– 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया, जो भाग IV- A में रखा गया और इसे मौलिक कर्तव्य शीर्षक दिया गया। इस संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए–

संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, और राष्ट्रगान का आदर करना।

स्वतंत्रता संग्राम में देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का गौरव करना और उसकी रक्षा करना।

भारत की संप्रभुता, एकता, और अखंडता की रक्षा करना।

देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना।

सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना।

भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना।

प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना।

सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।

व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना।

86वां संविधान संशोधन (2002)– वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 51 क में एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अनुसार–

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

अभिभावकों या संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे 6–14 वर्ष की आयु वाले अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाएँ। यह संशोधन शिक्षा के अधिकार (Right to Education) को अनिवार्य करने के उद्देश्य से लाया गया। इस प्रकार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई।

मौलिक कर्तव्यों का विकास 1947–2019– 1947 से 2019 तक के काल में मौलिक कर्तव्यों ने कई बदलाव और विकास देखे। प्रारंभ में केवल मौलिक अधिकारों पर बल था। 1976 में आपातकाल की पृष्ठभूमि में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 2002 में शिक्षा का अधिकार कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया। न्यायपालिका ने विभिन्न मामलों में कर्तव्यों की नैतिक व्याख्या की, जैसे पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, और राष्ट्रध्वज का सम्मान। हालांकि, 2019 तक मौलिक कर्तव्य गैर–न्यायसंगत (non-justiciable) बने रहे, अर्थात् इनके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान नहीं है। फिर भी, इन कर्तव्यों ने नागरिक जिम्मेदारी और सामाजिक अनुशासन की भावना को सुदृढ़ किया।

मौलिक कर्तव्यों की कानूनी स्थिति (1947–2019)

मौलिक कर्तव्यों की संवैधानिक प्रकृति– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, जो भाग IV A में शामिल हैं। परंतु ये कर्तव्य न्यायसंगत (justiciable) नहीं हैं। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई नागरिक इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो उस पर कोई कानूनी दंड नहीं लगाया जा सकता। संविधान में मौलिक अधिकारों को जिस प्रकार कानूनी संरक्षण प्राप्त है (भाग III के अंतर्गत), वैसा संरक्षण कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है। यह असमानता संविधान निर्माताओं द्वारा जानबूझकर रखी गई, ताकि कर्तव्यों को नैतिक और सामाजिक दायित्व के रूप में विकसित किया जाए, न कि केवल कानूनी बाध्यता के रूप में।

न्यायपालिका की भूमिका– हालांकि मौलिक कर्तव्य सीधे तौर पर न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन भारतीय न्यायपालिका ने अनेक मामलों में इन कर्तव्यों को अपने निर्णयों में शामिल किया और व्याख्या की।

पर्यावरण संरक्षण (अनुच्छेद 51क (G)– भारतीय न्यायपालिका ने पर्यावरण संरक्षण के कर्तव्य को कई मामलों में महत्वपूर्ण बताया। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने जनहित याचिकाओं (PIL) में अनुच्छेद 51क(G) का उल्लेख कर नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी का स्मरण कराया। एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1987)– न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।

सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा (अनुच्छेद 51क(i) – न्यायालयों ने कई मामलों में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा के कर्तव्य को रेखांकित किया। हिंसक प्रदर्शनों या सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ पर न्यायालयों ने नागरिक जिम्मेदारी की याद दिलाई।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

शिक्षा का कर्तव्य (अनुच्छेद 51क (I)– 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए इस कर्तव्य को शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE Act- 2009) से जोड़ा गया। न्यायपालिका ने कई बार यह स्पष्ट किया कि बच्चों की शिक्षा केवल राज्य की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि माता–पिता और अभिभावकों का भी दायित्व है।

मौलिक कर्तव्यों की कानूनी बाध्यता का अभाव– मौलिक कर्तव्य न्यायसंगत नहीं हैं, अर्थात् इनके उल्लंघन पर किसी प्रकार का दंडात्मक प्रावधान नहीं है। यह स्थिति भारत में मौलिक कर्तव्यों को नैतिक दायित्व तक सीमित रखती है। हालाँकि कुछ अधिनियम जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971, आदि कुछ कर्तव्यों को कानूनी रूप देते हैं, पर ये अधिनियम अनुच्छेद 51क से सीधे नहीं जुड़े हैं।

अन्य देशों में कर्तव्यों की स्थिति से तुलना– भारत की तुलना में कई देशों में नागरिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू किया गया है। रूस और चीन में संविधान में नागरिक कर्तव्यों का उल्लंघन दंडनीय है। जर्मनी और फ्रांस में नागरिकों के लिए सामाजिक जिम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं। भारत में मौलिक कर्तव्यों को अभी तक केवल नैतिक दायित्व माना गया है, और इसे कानूनी रूप देने की चर्चा अनेक बार उठी है।

1947–2019 तक मौलिक कर्तव्यों की स्थिति – 1976 में मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, परंतु न्यायसंगत नहीं बनाए गए। न्यायपालिका ने इन कर्तव्यों को नैतिक दृष्टिकोण से अपने फैसलों में स्थान दिया। पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा जैसे क्षेत्रों में न्यायालय ने अनुच्छेद 51क का उल्लेख कर नागरिक जिम्मेदारी पर बल दिया। फिर भी, 2019 तक मौलिक कर्तव्यों को विधायी स्तर पर बाध्यकारी रूप नहीं दिया गया।

नागरिक जिम्मेदारी और उसकी कानूनी स्थिति

नागरिक जिम्मेदारी की अवधारणा– लोकतंत्र केवल अधिकारों पर आधारित नहीं होता, बल्कि नागरिकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर भी आधारित होता है। नागरिक जिम्मेदारी का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को न केवल अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों और सामाजिक दायित्वों का भी पालन करना चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से नागरिक जिम्मेदारी का औचित्य स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, नागरिक जिम्मेदारी का पालन विभिन्न विधियों, न्यायिक व्याख्याओं, और सामाजिक–नैतिक मूल्यों के माध्यम से होता है।

नागरिक जिम्मेदारी और कानूनी आधार– भारतीय विधि में नागरिक जिम्मेदारी को विभिन्न अधिनियमों और विधानों में स्पष्ट किया गया है। इनमें कुछ मुख्य उदाहरण निम्नलिखित हैं– भारतीय दंड संहिता, 1860– धारा 153क और 295 क में सामाजिक समरसता और धार्मिक सहिष्णुता के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है। धारा 268 में सार्वजनिक उपद्रव पर दंड है, जो नागरिक जिम्मेदारी के उल्लंघन पर लागू होती है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986– यह अधिनियम अनुच्छेद 51क (G) के अनुरूप नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी देता है।

राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971– यह अधिनियम नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, जो अनुच्छेद 51क से मेल खाता है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009– इस अधिनियम के तहत 6–14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना अभिभावकों की जिम्मेदारी है, जो अनुच्छेद 51क में निहित है।

न्यायपालिका की भूमिका– भारतीय न्यायपालिका ने नागरिक जिम्मेदारी की व्याख्या करते समय मौलिक कर्तव्यों और विभिन्न कानूनी प्रावधानों को आधार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णयों में स्पष्ट किया कि नागरिक जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक दायित्व है। एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में न्यायालय ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। Bijoe Emmanuel बनाम राज्य केरल (1986) मामले में अदालत ने कहा कि नागरिकों को अपने धार्मिक और नैतिक विश्वासों के साथ कर्तव्यों का संतुलन बनाए रखना चाहिए।

नागरिक जिम्मेदारी की नैतिक और सामाजिक दृष्टि– भारतीय संस्कृति और परंपराएँ नागरिक जिम्मेदारी पर बल देती हैं। धर्मशास्त्र, महाकाव्य, और लोकनीति में नागरिक कर्तव्य और जिम्मेदारी की महत्ता स्पष्ट की गई है। महाभारत और रामायण में सामाजिक जिम्मेदारी और कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। गांधीजी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित नागरिक जिम्मेदारी का प्रतिपादन किया। आजादी के आंदोलन के दौरान नागरिकों ने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का पालन करते हुए त्याग और बलिदान दिया।

नागरिक जिम्मेदारी की वर्तमान स्थिति (1947–2019)– स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नागरिक जिम्मेदारी का स्वरूप धीरे–धीरे विकसित हुआ। मौलिक अधिकारों के सशक्तिकरण के साथ–साथ कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की चर्चा प्रारंभ हुई। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने से नागरिक जिम्मेदारी को विधिक स्वरूप मिला, लेकिन इसे बाध्यकारी नहीं बनाया गया। 2019 तक नागरिक जिम्मेदारी का पालन मुख्यतः नैतिक और सामाजिक दृष्टि से होता रहा, जबकि विधिक प्रावधान सीमित और विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित रहे। नागरिक जिम्मेदारी भारतीय लोकतंत्र और विधि व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। मौलिक कर्तव्यों, दंड संहिताओं, और विशेष अधिनियमों के माध्यम से इसका विधिक और नैतिक पक्ष स्पष्ट होता है। हालांकि, 2019 तक नागरिक जिम्मेदारी का कानूनी ढांचा अपेक्षाकृत सीमित रहा और इसे मजबूत करने की आवश्यकता बनी रही।

निष्कर्ष– मौलिक कर्तव्य और नागरिक जिम्मेदारी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं। संविधान निर्माताओं ने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को महसूस किया और 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग IV–। के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में 10 (बाद में 11) मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की भावना विकसित करना था। हालांकि मौलिक कर्तव्यों को कानूनी बाध्यता नहीं दी गई है, भारतीय न्यायपालिका ने अपने निर्णयों में इन कर्तव्यों को बार–बार रेखांकित किया और पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, और शिक्षा के क्षेत्र में इनका महत्व स्वीकारा। विभिन्न विधानों जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय ध्वज और सम्मान अधिनियम, तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नागरिक जिम्मेदारी के कुछ पहलुओं को कानूनी रूप में परिभाषित किया गया। फिर भी, 2019 तक भारत में मौलिक कर्तव्यों और नागरिक जिम्मेदारियों की स्थिति मुख्यतः नैतिक और सामाजिक स्तर पर ही रही। विधायी और कार्यपालिका स्तर पर इनके सशक्त

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

और बाध्यकारी रूप की आवश्यकता बनी रही। नागरिकों में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के लिए शैक्षिक, सामाजिक, और प्रशासनिक प्रयास अपेक्षित हैं।

सुझाव– मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकतानुसार विशेष अधिनियमों की रचना की जानी चाहिए, जिनमें नागरिक जिम्मेदारी का उल्लंघन दंडनीय हो। पर्यावरण, शिक्षा, और सार्वजनिक संपत्ति संरक्षण जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट कानूनी प्रावधान किए जाएं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में मौलिक कर्तव्यों और नागरिक जिम्मेदारियों पर विशेष पाठ्यक्रम शामिल किए जाएं। जनसामान्य में सामाजिक और नैतिक शिक्षा के माध्यम से कर्तव्य पालन की भावना को प्रोत्साहित किया जाए। न्यायपालिका को अपने निर्णयों में मौलिक कर्तव्यों का व्यापक संदर्भ देते हुए इनके महत्व को और रेखांकित करना चाहिए। जनहित याचिकाओं (PIL) में नागरिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए आवश्यक निर्देश दिए जाएं। नागरिक समाज और गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) को नागरिक जिम्मेदारी के प्रसार और अनुपालन के लिए सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। स्थानीय निकायों, पंचायतों, और नगरपालिकाओं को कर्तव्य पालन और नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग कर नागरिकों में कर्तव्य और जिम्मेदारी के प्रति सकारात्मक संदेश फैलाए जाएं। ई–गवर्नेंस और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से नागरिक जिम्मेदारी की जानकारी और उनके पालन की प्रणाली विकसित की जाए।

अनुशंसाएं–

1– संविधान में मौलिक कर्तव्यों को केवल नैतिक कर्तव्य न मानकर उन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए ताकि उनका प्रभाव बढ़े।

2– नागरिक जिम्मेदारी के उल्लंघन पर स्पष्ट दंडात्मक प्रावधानों वाले अधिनियम बनाए जाएं, जो पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, और सामाजिक सौहार्द्र को सुनिश्चित करें।

3– विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर नागरिक जिम्मेदारी और मौलिक कर्तव्यों को शामिल करते हुए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए जाएं।

4– मीडिया, सोशल मीडिया और जनसंपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिक जिम्मेदारी के प्रति व्यापक जागरूकता बढ़ाई जाए।

5– न्यायालयों को नागरिक जिम्मेदारी के उल्लंघन के मामलों में कड़े निर्देश जारी करने और पीआईएल के माध्यम से कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

6– नागरिक जिम्मेदारी के प्रचार–प्रसार और अनुपालन में नागरिक समाज और गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका बढ़ाई जाए।

7– स्थानीय प्रशासन और पंचायत स्तर पर नागरिक जिम्मेदारी की प्रगति और पालन की नियमित समीक्षा की जाए।

8– मोबाइल एप्स और ई–गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को उनके कर्तव्यों की जानकारी और अनुपालन के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 02, May 2019

9– संविधान सभा या विशेष समिति द्वारा मौलिक कर्तव्यों की समय–समय पर समीक्षा कर उन्हें वर्तमान सामाजिक–राजनीतिक जरूरतों के अनुसार संशोधित किया जाए।

10– अन्य देशों के नागरिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रभावी मॉडल का अध्ययन कर भारतीय संदर्भ में उपयोगी नीतियां अपनाई जाएं।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ–साथ कर्तव्यों का समावेश नागरिकों के नैतिक और कानूनी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वर्तमान समय में (1947–2019) तक इन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की स्थिति संतोषजनक तो रही, लेकिन उन्हें और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए विधायी सुधार, न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता जैसे बहुआयामी प्रयास आवश्यक हैं। केवल तभी एक सशक्त और जिम्मेदार लोकतांत्रिक समाज का निर्माण संभव होगा।

सन्दर्भ सूची–

1– भारत का संविधान, 1950 (संशोधित संस्करण)

2–42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976

3– भारतीय दंड संहिता, 1860

4– पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

5– राष्ट्रीय ध्वज और सम्मान अधिनियम, 1971

6– शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

7- M.C. Mehta बनाम भारत संघ, AIR 1987 SC 965

8- Bijoe Emmanuel बनाम केरल राज्य, AIR 1986 SC 746

9- Basu, D.D. (2013). **Introduction to the Constitution of India**. LexisNexis Butterworths.

10- Seervai, H.M. (2015). **Constitutional Law of India**. Universal Law Publishing.

11- Shukla, V.N. (2014). **Constitution of India**. Eastern Book Company.

12- Jain, M.P. (2018). **Indian Constitutional Law**. LexisNexis.

13- Government of India (2019). **Annual Report: Ministry of Law and Justice**.